

फा. सं.03(1)/ई.॥ए/2009

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 06 अगस्त, 2014

कार्यालय जापन

विषय: मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्टाफ कारों की खरीद से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में।

इस मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से स्टाफ कारों के अनुमोदित मॉडलों की सूची से छूट देते हुए क्योंकि अनुमोदित अनेक कारों का अब विनिर्माण नहीं हो रहा है, स्टाफ कारों के रूप में प्रयोग के लिए नए मॉडलों की कारों को शामिल किए जाने अथवा विकल्प के रूप में कतिपय वाहनों की खरीद किए जाने के अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

2. इस मंत्रालय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि डीजीएस एंड डी की दर संविदा में उपलब्ध 4,75,000/- रुपए तक के निवल डीलर मूल्य की कारों के मॉडलों पर ही स्टाफ कार के रूप में खरीद हेतु विचार किया जाएगा। यह खरीद केवल डीजीएस एंड डी की दर संविदा विधि के माध्यम से की जाए। तदनुसार, प्रशासनिक सचिव, वित्त सलाहकार से परामर्श करके मूल्य, उपलब्धता, रखरखाव की सुविधा, कार्यालय के विशिष्ट क्षेत्र में सर्विस की सुविधा, ईंधन किफायत, पर्यावरण के प्रति अनुकूलता, बड़े पैमाने पर खरीद के लिए मानकीकरण आदि सहित मानदंडों के आधार पर मॉडल का निर्धारण कर सकते हैं।

3. यह, स्टाफ कारों के रूप में प्रयोग हेतु अनुमोदित मॉडलों से संबंधित पिछले निर्देशों का अधिक्रमण करता है।

अ. शर्मा

(अनिल शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार
2. सी एंड एजी, यूपीएससी आदि (मानक सूची के अनुसार)
3. एनआईसी प्रकोष्ठ

F.No. 03(1)/E-IIA/2009  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated 6<sup>th</sup> August 2014

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject:** Purchase of Staff Cars by Ministries/Department – revision of guidelines reg.

This Ministry has been receiving requests from various Ministries/Departments for inclusion of new models of cars or alternatively to purchase certain vehicles for use as staff cars, in exception to the list of approved models of Staff Cars, since many of the approved cars are no longer under manufacture.

2. The matter has been examined by this Ministry in consultation with Ministry of Commerce. It has now been decided that models of cars with Net Dealer Price (NDP) of upto Rs. 4,75,000/- available in the DGS&D Rate Contract only shall be considered for purchase as staff car. The purchase may be made only through DGS&D rate contract mode. Accordingly, the Administrative Secretary in consultation with the Financial Advisor, may decide on the model based on parameters including price, availability, ease of maintenance, service facility in the specific location of the office, fuel economy, eco-friendliness, standardisation for large scale purchases, etc.

3. This supersedes previous instructions on models approved for use as staff cars.

4. Hindi version will follow.



(Anil Sharma)

Under Secretary to the Government of India

To,

All Ministries/Departments of Government of India

Copy forwarded to:

1. Financial Advisors of All Ministries/Departments
2. C&AG, UPSC, etc., as per standard list.
3. NIC Cell